मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री, संसद-सदस्यों और विधायकों की प्रधान मंत्री के साथ भेंट

4432. **श्री राघवजी:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 1992 के माह के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री, कुछ संसद-सदस्यों और विधायकों के साथ प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्हें राज्य के विकास के संबंध में एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त ज्ञापन में उल्लिखित किसी मांग को पूरा करने की दिशा में कोई प्रगति हुई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित ज्ञापन पर भारत सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा है। संबंधित मंत्रालयों से पूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तर भेजा जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Utilisation of micro-computers

"4432-A. SHRI RAGHAVJI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have provided personal computers at District level;

(b) if so, what is the percentage of utilisation of micro-computers at District, State and Central level;

(c) whether there is any proposal to work out a scheme to improve utilisation of these for practice and developmental purposes in the educational institutions; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) Yes Sir.

(b) On an average the prime time utilisation in the States and Districts ranges from 60 to 75 per cent and at the Central level it is about 80%. The utilisation is growing exponentially and prime time saturation of the network is expected to be reached around the end of 1992-93.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

*Previously Unstarred question 3881, transferredfrom 26th March, 1992.

*पर्वतः अतारांकित प्रश्न 4086, 27 मार्च, 1992 से स्थानांतरित।

गांवों की दुर्दशा के संबंध में रिपोर्ट

4432-ख. **डा॰ रत्नाकर पाण्डेय: क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने जन सामान्य की कठिनाइयों और गांवों की दुर्दशा के लिए सरकारी तंत्र और कानूनी ढांचे को दोषी ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) गांव/ब्लाक और जिला स्तर पर एकीकृत विकास के लिए उचित स्वः नियंत्रण संगठनों/वितरण प्रणालियों का अध्ययन और विकास करने के लिए अक्तूबर, 1991 में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने दिसम्बर 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

सरकारी मशीनरी और कानूनी संरचना के कार्यकरण के बारे में इस रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां नीचे उद्धृत की जाती हैं:—

"ग्रामीण प्रबन्ध में भी विधान का विकास हुआ है। इस से गांव प्रबंध की प्रक्रिया पर न केवल कानूनी नियंत्रण का प्रसार हुआ है अपितु गांव प्रबंध अन्ततः लगभग पूरी तरह से समाप्त भी हो गया है। कुछ सीमा तक देश के आकार के कारण और कुछ सीमा तक व्यापक रूप से फैले हुए विधान के स्वरूप के कारण नियमों का पूरी तरह से कार्यान्वयन नहीं किया जा सका। विधानों के अनियंत्रणीय भार के फलस्वरूप कार्यान्वयन में प्रायः स्वेच्छाचारी विवेक से पदाधिकारियों के अधिकारों में वृद्धि हो गई। अतः सम्पूर्ण पद्धति जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय था, न्याय देने में विफल हो गई। स्वयं इस पद्धति से निम्न स्तर पर लोगों की पहल शक्ति और लोगों की शक्ति प्रभावित हुई है। "कानूनी पद्धति के बावजूद सरकारी मशीनरी और अफसरशाही के प्रसार ने भी लोगों की पहलशक्ति को दबा दिया है। ग्राम पंचायत को आज पदाधिकारी समूह का ही एक विस्तार समझा जाता है। न केवल अधिकारों को सीमित किया गया है अपितु ब्लाक स्तर और जिला स्तर के पदाधिकारियों पर निर्भर रहते हुए उन का व्यवहार भी

असहाय स्वरूप का होता है। चुनाव न तो ठीक ढंग से और न ही नियमित रूप से किए जाते हैं। जो व्यक्ति शक्तिशाली होते हैं, उन के पास न तो लोगों का विश्वास होता है और न ही वे उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं।"

"चार शताब्दियों के दौरान, राज्यों तथा केन्द्र में केन्द्रीकृत निकायों ने अनेक औपचारिक और अनौपचारिक रिपोर्टिंग पद्धतियों का विकास किया है जो किसी भी प्रकार के कार्यकलापों को शुरू करने से पहले प्रीआडिट स्वरूप की होती है। इस से न केवल विकास की प्रक्रिया पर बाधा उत्पन्न होती है बल्कि अत्यधिक विलंब भी होता है। जिस के लिए किसी को उत्तरदायी नहीं बनाया जाता। समितियों तथा निवेश बोर्डों और अन्य द्वारा लंबी जांच एवं विलंब, स्पष्टीकरण और पद्धति, जो विद्यमान होती हैं, निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का उपहास करती है।"

"यह आशा की गई थी कि देश स्वतंत्र होने के पश्चात् लोगों की सहभागिता की प्रक्रिया जोर पकड़ेगी। समय के साथ-साथ जो कुछ हुआ, वह इस के विपरीत था। लोगों की सहभागिता आज कर्मकांडी है और अधिकांश में सत्ता के लिए राजनीतिक दलों को केवल वोट देने से संबंधित है। ऐसा पांच वर्ष में एक बार होता है। जब तक कि चुनावों की घोषणा पहले नहीं होती। चुनाव करवाने में न केवल अत्यधिक धन व्यय होता है अपितु जाति, विचारधारा, निहित स्वार्थ और धनबल के आधार पर समाज के टुकड़े भी हो जाते हैं। चूंकि राजनीतिक प्रक्रिया का अभी तक ध्रुवीकरण नहीं हुआ है, इसलिए लोगों की जो आशा है, वह विभिन्न दलों के साथ, बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य और प्रयोजन के, ऐसा ही खेल खेलते रहने की है। चुनाव का राजनीतिकरण केवल एक ऐसा साधन बन गया है जिस के द्वारा लोगों में देश की प्रबंध प्रक्रिया में शामिल होने की भावना पैदा होती है। विकास के कार्य में, पंचायत पद्धति की विफलता ने, विद्यमान कानूनों पर आधारित ग्राम स्तर, ब्लाक स्तर अथवा जिला स्तर की संस्थाओं के निर्माण की आशा के बिना भी, लोगों को असहाय बना दिया है।"

(ग) कार्यदल की रिपोर्ट पर मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, स्वयं सेवी ऐजेंसियों आदि से गहन परामर्श करने की आवश्यकता है। योजना आयोग, कार्यदल की रिपोर्ट को ऐसे सभी निकायों/व्यक्तियों को भेजने की प्रक्रिया में है। उन से परामर्श करने के बाद समुचित उपाय किए जाएंगे ताकि वे आठवीं योजना में आयोजना और कार्यान्वयन की प्रक्रिया को वहन कर सकें।

*Previously Unstarred Question 4541. transferred from 31st March 1992.

Utilisation Certificates by Darjceling Gorkha Hill Council

$$4432-C. SHRI RATNA BAHADUR RAI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that no utilisation certificates were given by the Darjeeling Gorkha Hill Council for the money provided through Central Pool as S.C.A. during the year 1989-90 and 1990-91;

(b) if so, what is the amount involved; and

(c) what action is proposed against such defaults?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) and (b) For the Annual Plans 1989-90 and 1990-91 of Darjeeling Gorkha Hill Council, the allocations of S.C.A. were Rs. 18.75 crores and Rs. 21.00 crores respectively. The State Government have till now received utilisation certificate for the S.C.A. allocated during 1989-90.

(c) We expect that utilisation certificates for the S.C.A. released in 1990-91 will be submitted by the Council in due course.

Scheme for Women Entrepreneurs

4433. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 3324 given in the Rajya Sabha on 23rd March, 1992 and state:

(a) whether Government propose to inaugurate any new scheme for encouraging women Entrepreneurs for production and export of readymade garments including banians to foreign countries with subsidy and tax remission; and

(b) if so, what are the details of such* schemes and by when it is likely to be implemented?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) No, Sir.